अंचल अधिकारी तोपचांची का कार्यालय

अभिलेख वाद संख्या- 62 (X) 16-17

वाद का प्रकार- बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधि0 1950 की धारा 4(h) के तहत् जांच एवं कार्रवाई से संबंधित।

झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक-2074/रा0, दिनांक-13.05.2016 सहपठित-श्री अनुज मुखर्जी, निदेशक, भू-अर्जन-सह-विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या-3-खा0म0निति-119/85/2308/रा0, दिनांक-03.09.1985 एवं सह-पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र संख्या-914/रा0, दिनांक-09.12.1998 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि की कायम की गयी जामबंदियों की जांच प्रारंभ की गयी। जांच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं अ0नि0द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नांकित विवरणी की भूमि :-

मौजा-आसनापीड़ा थाना- 159 खाता संख्या- 101 प्लॉट संख्या- 388 रकबा- 0.51 एकड़ की भूमि जो गैरमजरूआ खास, अनाबाद बिहार (झारखण्ड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी-II के जिल्द संख्या- 1 के पृष्ठ संख्या- 275 पर जमाबंदी रैयत झारखंड सरकार के नाम से कायम है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरिक्षक द्वारा जांचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरूद्ध कायम जामबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरिक्षक द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/ अवैध बंदोबस्ती के आधार पर/ अवैध कोड़कर बंदोबस्ती के आधार पर/ अवैध लगान निर्धारण के आधार पर/ सादा हुकुमनामा के आधार पर, कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है।

प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत् जांच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।

अतएव, संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू-खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण-पृच्छा करें, कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत् सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाय।

अभिलेख दिनांक- 26.9.2016 को उपस्थापित करें।

लेखापित एवं संशोधित
अंचल अधिकारी

अंचल अधिकारी
1.9.16

E:\Sec 5 New\Awaidh Jamabandi.docx

Scanned with CamScanner

तिथि	
13/8/20	अभिलेख उपस्थापित ! तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। प्रतिवादी द्वारा संदिग्ध जमीन के संबंध में कोई भी राजस्व कागजात समर्पित नहीं किया गया है। इस संबंध में......फागु दास..........द्वारा मात्र उपस्थिति दर्ज करायी गई/अनुपस्थिति जो अभिलेख में संलग्न है। लगान वर्ष........................तक भुगतान किया गया है।
	मौजा-.आसनाबिंधा.......थाना नं०..159....खाता नं०...101.....
	प्लाट नं०.388... रकवा...05.51.....कुल.....05.0...
	भूमि क्रमश: प्रतिवादी के नाम से दर्ज है। पंजी- II में प्रतिवादी के नाम पर सृजित जमाबंदी में जांचोपरांत निम्नलिखित त्रुटियाँ पाई गई है:-
	1. जमाबंदी सृजित करने से संबंधित सक्षम प्राधिकार के आदेश का उल्लेख नहीं पाया गया।
	2. लगान निर्धारण/जमींदार से प्राप्त संबंधी पट्टा/ सादा हुकुनामा आदि कागजात नहीं पाया गया।
	3. बंदोबस्ती पट्टा भी नहीं पाया गया और न ही प्रतिवादी द्वारा उपलब्ध कराया गया है।
	4. प्रतिवादी ने प्रतिवेदित भूमि से संबंधित कोई भी कागजात ~~नहीं~~ होने से इंकार किया है।
	उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि वर्णित जमाबंदी बिना किसी सक्षम प्राधिकार के आदेश के बिना ही सृजित कर दी गई है, जो अवैध है।
	अत: मौजा-..आसनाबिंधा......थाना नं०..159...खाता नं०....101...
	प्लाट नं०..388.. रकवा...05.51....कुल..................धूर, कुल......05.51......धूर,भूमि जो प्रतिवादी.....फागु दास...... के नाम पर पंजी- II में दर्ज है, को बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4 (H) के तहत कायम जमाबंदी को रद्द करने की अनुशंसा की जाती है ।
	तदानुसार अभिलेख अग्रेतर कार्रवाई हेतु भूमि सुधार उपसमाहर्ता, धनबाद को भेजे।
	लेखापित एवं संशोधित
	13/8/20 अंचल अधिकारी तोपचाँची। — 13/8/20 अंचल अधिकारी, तोपचाँची।

Scanned with CamScanner

(62)

(59)

संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी संबंधी जाँच प्रतिवेदन

1. संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी रैयत का नाम :- [handwritten, illegible] —
2. जमाबंदी से संबंधित भूमि का विवरण :-

मौजा	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा
[handwritten, illegible]	159	101	388	0.56

3. जमाबंदी पंजी-II के जिल्द संख्या......1........ पृष्ठ सं०-275 पर कायम है -
4. जमाबंदी किस वर्ष कायम है - 95-96
5. खतियान के अनुसार उपरोक्त भूमि के खातेदार का नाम :- [handwritten, illegible]
6. किस सक्षम प्राधिकार/पदाधिकारी के आदेश से जमाबंदी कायम की गई है :- [handwritten, illegible] 31(X) 95-96
7. यदि संदेहास्पद जमाबंदी नामान्तरण द्वारा स्थापित है तो मूल जमाबंदी रैयत का नाम :- —
8. मूल जमाबंदी कायम किए जाने का आधार (अनिबंधित सादा हुकुमनामा/लगान निर्धारण/अवैध भूबंदोबस्ती - [handwritten, illegible]
9. संदेहास्पद जमाबंदी की जाँच किस राजस्व अभिलेख से की गई (भूतपूर्व जमींदार द्वारा दाखिल रिटर्न/बन्दोबस्ती पंजी/लगान निर्धारण पंजी/भू-हस्तांतरण पंजी) - पंजी II
10. संदेहास्पद जमाबंदी में अंकित लगान रसीद संख्या एवं वर्ष -

क० संख्या	लगान रसीद संख्या	रसीद निर्गत तिथि	वसूली वर्ष
1	526153	7/11/95	95-96

[signatures]

Scanned with CamScanner

Banerjee
29/9/16

सेवा में,

श्रीमान अंचल अधिकारी,
तोपचांची।

विषय:- वाद अभिलेख सं0 62 (x) 16-17 के संबंध में।

महाशय,

सादर कहना है कि मैं फागु दास, पिता- स्व. छुटु दास ग्राम- सिंधवाद, आसनासिंघा, थाना-तोपचांची, जिला-धनबाद का निवासी हूँ।

मौजा- आसनासिंघा नं0 159, खाता नं0 101, प्लोट नं0 388 रकबा 5 डी. भूमि से संबंधित कोई कागजात नहीं है।

Put up in records
13/8/20

दिनांक 26.9.16

आपका विश्वासी,

फागु दास

अंचल अधिकारी का कार्यालय, तोपचाँची(धनबाद)

वाद अभिलेख सं0 62 (X) /2016-17 (अन्तर्गत धारा - 4(h), BLR Act, 1950)

सूचना

बनाम

फागु दास

पिता -..

ग्राम - आसना सींघा पो0..............................

थाना -...............................जिला - धनबाद।

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि मौजा आसना सींघा थाना नं0 159 खाता नं0 101 प्लॉट नं0 388 रकबा 05 51 एकड से संबंधित आपके नाम से हल्का नं0 X के पंजी II भाग 1 के पृष्ठ 275 पर दर्ज जमाबंदी प्रथम दृष्टया राजस्व कर्मचारी ने प्र0अंचल निरीक्षक के माध्यम से जॉचोपरान्त संदिग्ध प्रतिवेदित किया है।

अतएव, आप उक्त संबंध मे दिनांक 26.9.2016 को समय 11:00 बजे पूर्वा0 मे उक्त भूमि का रिटर्न -I, भूमिबंदोबस्ती से संबंधित हुकुमनामा, भूतपूर्व जमींदार द्वारा निर्गत जमींदारी रसीदो, फार्म M एवं सरकार मे जमींदारी निहित होने के बाद सरकार द्वारा निर्गत राजस्व रसीदो निर्गत परवाना एवं अन्य ठोस साक्ष्यो की मूल प्रति/सत्यापित प्रति जो आपके उक्त भूमि पर दावे की पुष्टि करता हो, के साथ अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ मे उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करे।

सनद रहे कि अन्यथा कि स्थिति मे समझा जायेगा कि उक्त संबंध मे.आपको कुछ नही कहना है तथा उपलब्ध दस्तावेज/साक्ष्यो के आधार पर समुचित निर्णय पर पहुँचते हुए दर्ज जमाबंदी के संबंध मे युक्ति-युक्त निर्णय लेते हुए विधिसम्मत अनुशंसा कर दी जायेगी।

इसे सख्त ताकीद जाने।

तिथि :-

स्थान :- तोपचॉची

अंचल अधिकारी

तोपचॅची

9.9.16

Scanned with CamScanner

अंचल अधिकारी का कार्यालय, तोपचाँची(धनबाद)

वाद अभिलेख सं0 62 (?) /2016–17 (अन्तर्गत धारा – 4(h), BLR Act, 1950)

सूचना

बनाम,

फागु दास

पिता –

ग्राम – आसना सींघा पो0

थाना – जिला – धनबाद।

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि मौजा आसना सींघा थाना न0 154 खाता न0 101 प्लॉट न0 388 रकबा 05 51 एकड से संबंधित आपके नाम से हल्का न0 X के पंजी II भाग 1 के पृष्ठ 275 पर दर्ज जमाबंदी प्रथम दृष्टया राजस्व कर्मचारी ने प्र0अंचल निरीक्षक के माध्यम से जॉचोपरान्त संदिग्ध प्रतिवेदित किया है।

अतएव, आप उक्त संबंध मे दिनांक 26.9.2016 को समय 11:00 बजे पूर्वा0 मे उक्त भूमि का रिटर्न –I, भूमिबंदोबस्ती से संबंधित हुकुमनामा, भूतपूर्व जमीदार द्वारा निर्गत जमीदारी रसीदो, फार्म M एवं सरकार मे जमीदारी निहित होने के बाद सरकार द्वारा निर्गत राजस्व रसीदो निर्गत परवाना एव अन्य ठोस साक्ष्यो की मूल प्रति/सत्यापित प्रति जो आपके उक्त भूमि पर दावे की पुष्टि करता हो, के साथ अधोहस्ताक्षरी के कार्यायल प्रकोष्ठ मे उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करे।

सनद रहे कि अन्यथा कि स्थिति मे समझा जायेगा कि उक्त संबंध मे आपको कुछ नही कहना है तथा उपलब्ध दस्तावेज/साक्ष्यो के आधार पर समुचित निर्णय पर पहुँचते हुए दर्ज जमाबंदी के संबंध मे युक्ति–युक्त निर्णय लेते हुए विधिसम्मत अनुशंसा कर दी जायेगी।

इसे सख्त ताकीद जाने।

अंचल अधिकारी
तोपचाँची
9.9.16

तिथि :–

स्थान :– तोपचाँची

फागुदास

(मुहर: कार्यालय अंचल अधिकारी तोपचाँची, धनबाद)

प्राप्त ... फागु ... 21/9/16